JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता एवं सशक्तिकरण

[1]दीपमाला कुमारी एवं [2]डॉ० पूनम

[1]शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।

[2]डॉ0 पूनम, प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजेन्द्र कॉलेज, छपरा।

शोध–सारांश :– किसी भी देश में महिलाओं की स्थिति को जानने के लिये हमें उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जीवन के बारे में जानना आवश्यक है। इसके अंतर्गत बहुत सारे पहलू सम्मिलित होते हैं जैसे– शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, प्रतिव्यक्ति आय, जीवनस्तर, प्रजननता, जन्मदर, शहरीकरण, सामाजिक मानसिकता, परंपरा राजनैतिक एवं वैधानिक अधिकार इत्यादि। पंचायती राज की स्थापना के उद्देश्य एवं भारतीय सन्दर्भ में इसके विकास के संक्षिप्त विवरण के साथ–साथ पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका के विश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थान है। पंचायती राज, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का एक रूप है, जिसमें लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके पूर्व–निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किये जाते हैं। पंचायती राज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना है। विश्व आज सहस्त्राब्दिक परिवर्तनों की ऐसी दहलीज पर खड़ा है, जहाँ उसे चयन और चुनौतियों की व्यूह–रचना का सामना करना पड़ रहा है। विश्व को आज मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तनों का सामना करना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों में महिलाओं से इस शताब्दी के अन्तिम दौर में एक विशेष प्रकार की भूमिका की अपेक्षा की जा रही है। महिला सशक्तिकरण वर्तमान दुनिया का बेहद ज़रूरी विमर्श है। चूंकि यह स्त्री की स्वतंत्रता, समानता, मज़बूती और महत्ता का हिमायती है, इसलिये इसे संपूर्ण मानव जाति के आधे हिस्से की बेहतरी से जुड़ा विमर्श कहा जा सकता है। इसके साथ–साथ महिलाओं की पुरूष के समान राजनीतिक सहभागिता का प्रश्न भी विश्व की आधुनिक सभ्यता का सर्वप्रिय चर्चित विषय है।

शब्द कुंजी : महिला सशक्तिकरण, पंचायती राज, समानता, सामाजिक मानसिकता, राजनैतिक स्तर, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण।

1. परिचय

बिहार पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इसके लिए सराहना भी हुई और बिहार में महिला वोट पर नीतीश अपनी पकड़ बनाने में भी कामयाब हुए लेकिन इन सबके बीच एक और बात है राजनीति में, वह है स्वतंत्र रूप से महिलाओं की राजनीति में स्थिति। पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की शुरूआत 2006 में की गई थी, लेकिन इस आरक्षण के लागू होने के 15 साल बी भी एक महिला मुखिया के लिए निर्णायक की भूमिका में काम कर पाने के रास्ते में कई समस्याएँ हैं। बिहार में 2021 के पंचायत चुनाव में 8,072 मुखिया पदों के लिए 11 चरण में चुनाव हुए जिनमें 3,585 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थीं। जिसमें अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 90 सीट और पीछड़ा वर्ग के लिए 1,357 सीट थीं।

बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण तथा पंचायत चुनाव में लगभग 65 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों की जीत से जो पंचायतों का स्वरूप बदला है, उसकी पृष्ठभूमि में अब मात्र यह बताना

काफी नहीं होगा कि महिलाओं के सशक्तिकरण में पंचायतों की भूमिका क्या है, बल्कि अब खुद पंचायतों के सशक्तिकरण में महिलाओं की भूमिका क्या होने जा रही है – यह देखना भी बहुत रोचक होगा।

पंचायतों का यह नया एवं बदला हुआ स्वरूप जिला प्रशासन एवं राज्य शासन के लिए भी एक नई चुनौती है और एक नया अवसर भी। चुनौती इसलिए कि प्रशासन को किसी महिला बहुत लोक–संस्था के साथ कार्य करने का कोई अनुभव नहीं। और, अवसर इसलिए कि अब पंचायतों को प्रशासनोन्मुखी से लोकोन्मुखी बनाने में राज्य शासन को बहुत अधिक चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि, महिलाएँ अपनी हर भूमिका को परिवार से जोड़कर देखना कभी नहीं भूलतीं।

जीवकोपार्जन और संतानोत्पत्ति की दोहरी भूमिकाओं के बीच खड़ी महिलाओं की माँ, बहन, बेटी और पत्नी के रूप में पारिवारिक भूमिकाएँ अच्छी तरह परिभाषित हैं जिन्हें वे अनन्तकाल से सफलतापूर्वक निभा रही हैं। इसके अतिरिक्त आज की दुनिया में प्रायः हर क्षेत्र में हर स्तर पर उन्होंने अपनी प्रतिभा, मेहनत और लगन का लोहा बनवाया है। परन्तु किसी गणतंत्र की संवैधानिक संस्था के बहुमत वाले वर्ग के रूप में अपनी भूमिका निभाने का मौका महिलाओं को पहली बार प्राप्त हुआ है। शायद दुनिया में पहली बार बिहार की महिलाओं को यह अवसर प्राप्त हुआ है। महिलाओं के लिए एक वर्ग के रूप में नया एक अनोखी एवं अचानक आई स्थिति है। इसमें चुनौतियाँ भी है और खतरे भी। बड़ी चुनौती यह है कि अपनी पारिवारिक दायित्वों को निभाने के साथ–साथ अब महिलाओं को एक वर्ग के रूप में अपनी सूझ–बूझ एवं निर्णय लेने की क्षमता दिखानी होगी। साथ ही सामुदायिक कल्याण के लिए अपनी कल्पनाशक्ति और प्रतिबद्धता भी सिद्ध करनी होगी। इतनी बड़ी सामाजिक भूमिका निभाने में बहुत सी महिला प्रतिनिधियों का साक्षर न होना थोड़ी मुश्किल तो पैदा करता है, पर रूकावट नहीं, क्योंकि जिस समझदारी एवं सूझ–बूझ की आवश्यकता इस नई भूमिका को निभाने में है उसमें शिक्षित होना एक सहुलियत तो है पर उसका अभाव अड़चन नहीं पैदा कर सकता।

2. महिला सशक्तिकरण

सशक्तिकरण का अर्थ अपनी जीवन शैली स्वयं तय करनें की क्षमता, अपनी शिक्षा, रोजगार एवं विवाह से संबंधित मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता से है। इसका अर्थ सोचने एवं काम करने की स्वतंत्रता से भी है। इन सबसे ऊपर इसका अर्थ एक गरिमापूर्ण एवं आत्मसम्मान का जीवन जीने से है। भारत में, महिलाओं की स्थिति में वांछित सुधार लाने के लिए हमें सही सामाजिक नजरिया बनाने की जरूरत है। ऐसा प्रतीत होता है कि महिलाओं कि भूमिकाओं एवं समाज में अपने वर्ग की स्थिति के प्रति महिलाओं की सोच (विशेष रूप से उन महिलाओं की जो शिक्षित हैं) में बदलाव आया है, किन्तु सामाजिक नजरिए में बदलाव नहीं आया है। इसलिए भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में बेहतरी के लिए सुधार अथवा बदलाव को बढ़ावा देने एवं महिलाओं के संबंध में पारंपरिक अपेक्षाओं के बीच एक टकराव है। इसके बावजूद यह एक परिवर्तन का दौर है तथा भावी पीढ़ियों के लिए उम्मीद दिखाई देती है।

सही मायने में देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ ही है महिला को आत्म–सम्मान देना और आत्मनिर्भर बनाना, ताकि वे अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकें।[43] पूर्व केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रेणुका चौधरी की दृष्टि में महिला सशक्तिकरण का अर्थ है– महिलाओं के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास में वृद्धि। उनका कहना है कि यदि कोई महिला अपने और अपने अधिकारों के बारे में सजग है, यदि उसका आत्मसम्मान बढ़ा हुआ है तो वह सशक्त है, समर्थ है।

किसी भी देश में महिलाओं की स्थिति को जानने के लिये हमें उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जीवन के बारे में जानना आवश्यक है। इसके अंतर्गत बहुत सारे पहलू सम्मिलित होते हैं जैसे– शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, प्रतिव्यक्ति आय, जीवनस्तर, प्रजननता, जन्मदर, शहरीकरण, सामाजिक मानसिकता, परंपरा राजनैतिक एवं वैधानिक अधिकार इत्यादि।

3. पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण

पंचायत राज व्यवस्था के सशक्तिकरण में महिला प्रतिनिधिगण वर्ग के रूप में संगठित होकर विभिन्न स्तरों पर बहुत सारे प्रयास कर स्थिति बदल सकती हैं, जैसे –

ग्राम सभा स्तर पर

- स्वयं सहायता समूहों को ग्राम सभा की बैठक में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने को प्रेरित एवं उत्साहित कर सकती हैं।
- ग्राम सभा द्वारा गठित निगरानी समितियों में महिलाओं को भागीदारी बढ़ाई जा सकती है।
- ग्राम सभा में कुछ मूलभूत प्रश्न उठाकर, जैसे, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों का क्रमवार चयन, सड़क निर्माण योजना में स्थान का निर्धारण, रोजगार योजना से जोड़कर स्थानीय स्तर पर निर्माण कार्य की परियोजना आदि में महिलाओं को प्राथमिकता दिलवा सकती हैं।
- ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सम्बन्धी पहल आदि पर चर्चा चला सकती हैं और निर्णायक भूमिका अदा कर सकती हैं।

ग्राम पंचायत स्तर पर

- स्थानीय विकास की कार्य योजनाओं का निर्माण करने तथा उनमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उपाय कर सकती हैं।
- महिला शौचालय के निर्माण एवं सामान्य स्वच्छता सम्बन्धी प्रयासों में तेजी लाई जा सकती है।
- सभी बच्चों को स्कूल भेजने का प्रयास सफलीभूत हो सकता है।
- सामाजिक–सामुदायिक कार्यों में स्त्री–पुरूष समानता के मूल्यों को स्थापित करने में मदद मिल सकती है।

ग्राम कचहरी स्तर पर

- अधिक से अधिक मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करवाने में मदद कर सकती हैं।
- महिलाओं की सखी–सहेली टोली बनाकर सामुदायिक सौहार्द बढ़ाने में मदद कर सकती हैं।
- महिलाओं की निगरानी समिति बनाकर विकास कार्यों के अवरोधों को पहचान कर उन्हें दूर करने की पहल कर सकती हैं।

पंचायत समिति के स्तर पर

- ग्राम पंचायतों के के परिवार के रूप में सामाजिक शांति समितियाँ बनाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण सृजित कर सकती हैं।
- ग्राम पंचायतों को अपना लेखा–जोखा, कागज–पत्तर ठीक ढंग से रखने में मदद कर सकती हैं।
- ग्राम पंचायतों की आपदा प्रबंधन सम्बन्धी योजनाओं को स्वयं हाथ में लेकर आवश्यक प्रबंध करने के लिए सम्बन्धित व्यक्तियों/विभागों पर दबाव डाल सकती हैं।

जिला परिषद स्तर पर

- जिला परिषद् की बैठक को कभी प्रखंड और कभी ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित कर इसे केन्द्रित बनाने में मदद कर सकती है।
- ग्राम पंचायत स्तर पर विकासात्मक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन दे सकती हैं।

वास्तव में महिला प्रतिनिधि आपस में बैठकर अपने स्तर पर किये जा सकने वाले कार्यों को तीन सूची में बाँट सकती हैं। पुरूष प्रतिनिधियों की तुलना में महिला प्रतिनिधिगण अधिक आसानी से यह काम कर सकते हैं, क्योंकि परिवार चलाने के लिए महिलाएँ यही काम सदियों से करती आयी हैं–

1. ऐसे कार्य जिसे पंचायत स्तर पर बातचीत या जनसम्पर्क के आधार पर किया जा सकता है, जैसे– भ्रूण हत्या, बाल विवाह, नशाबन्दी, बच्चों को स्कूल भेजना, शिक्षकों का समय से उपस्थिति, श्रमिकों को संगठित करना आदि। इन कार्यों को करने में किसी धन एवं बाहरी मदद की आवश्यकता नहीं, केवल संस्थागत लगाव होना चाहिए।
2. ऐसे कार्य जिसे पंचायत स्तर पर स्थानीय संसाधन और सहयोग से किये जा सकते हैं, जैसे– स्कूल भवन का रख–रखाव, स्कूल में पेयजल एवं शौच की व्यवस्था, गंदे नाले का निकास एवं रख–रखाव, समय–समय पर महिलाओं एवं बच्चों के लिए स्वास्थ्य कैम्प, वृक्षारोपण, पर्यावरण का रख–रखाव, बाँध, पुलिया का रख–रखाव आदि।

3. ऐसे कार्य जिसके लिए अधिक संसाधन एवं बाहरी मदद की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे– मत्स्य पालन के लिए पोखरा खुदवाना, गाँव को राज्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण, अभिवंचित वर्गों के लिए आवास की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, जीविकोपार्जन के लिए प्रशिक्षण, कुटीर–उद्योग का विकास आदि।

तीसरी सूची के बहुत सारे कार्यों को भी वर्तमान में चल रहे केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा पोषित योजनाओं से जोड़ कर चलाया जा सकता है। इन सभी कार्यों को करते हुए महिला प्रतिनिधियों को यह हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जिस प्रकार परिवार पिता के नाम से भले ही जाना जाता हो पर परिवार माँ की सोच और समझदारी पर ही निर्भर करता है। उसी प्रकार इस बार की नवगठित पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं की निर्णायक भागीदारी उसे माँ का संरक्षण दे सकती है। पंचायतों के सशक्तिकरण में महिलाओं का यह अभूतपूर्व योगदान होगा।

महिलाओं के सशक्तिकरण में पंचायत की भूमिका तीन रूपों में हो सकती है। एक लक्षित वर्ग के रूप में, एक वंचित वर्ग के महिलाओं को तीन तरह से सशक्त कर सकती है।

1. एक लक्षित वर्ग के रूप में महिलाओं के लिए पंचायत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में एवं अपनी योजनाओं में उन्हें प्राथमिकता देकर उनके सशक्तिकरण में सहायक हो सकती है। इसके अलावा, महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनी योजनाओं में अधिक महिलाओं की सहभागी बना सकती हैं, जैसे– राज्य महिला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही निम्नलिखित योजनाओं में उन्हें शामिल करके

–स्वशक्ति

–स्वयंसिद्धा

–स्वावलंबन

–दीप

ये कार्यक्रम स्वयं सहायता समूह निर्माण द्वारा महिलाओं को संगठित करते हैं एवं बचत को प्रोत्साहित करते हैं। तथा उन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से लघु उद्यमी के रूप में भी विकसित होने में सहायता प्रदान करते हैं। इस तरह की योजनाओं के माध्यम से पंचायत के अंदर महिलाओं में एकजुटता लाई जा सकती है एवं उनका सशक्तिकरण किया जा सकता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चलाई जानेवाली योजनाओं में उन्हें शामिल करें, जैसे–

– जननी एवं बाल सुरक्षा योजना

इसके अंतर्गत प्रसवपूर्ण महिलाओं की देखभाल, संस्थागत प्रसव, प्रसव पश्चात् देखभाल तथा 9 महीने तक बच्चों का नियमित टीकाकरण शामिल है।

यह योजना जिला स्वास्थ्य समितियां द्वारा चलाई जाती है। इसके अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे आने वाली माताओं को प्रसव के लिए अस्पताल पहुँचाने से लेकर प्रसव के लिए अस्पताल पहुँचाने से लेकर प्रसव पश्चात् दवाएँ इत्यादि आवश्यक वस्तु खरीदने के लिए आर्थिक मदद का भी प्रावधान है।

महिला स्वाधारा योजना

केन्द्र सरकार द्वारा सम्पोषित इस योजना के अंतर्गत निराश्रित, परित्यक्ता, विधवा एवं प्रवासी महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग की व्यवस्था इस प्रकार है :

1. पुनर्वास के लिए जमीन क्रय हेतु वित्तीय सहायता
2. भवन निर्माण हेतु सहायता
3. भोजन, आश्रय, व स्त्र आदि के ए सहायता

समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम

यह कार्यक्रम जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों, गर्भवती/शिशुवती महिलाओं और किशोरी बालिकाओं के सम्पूर्ण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

राज राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना

इस योजना के अंतर्गत 10 से 75 वर्ष के आयु वाली महिलाओं के बीमा का प्रावधान है। इसके तहत घरेलु गृहिणी छात्रायें, घरेलु श्रमिक एवं अकुशल महिला मजदूरों को लाभान्वित करना है। इसके तहत व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर महिलाएँ बीमा का लाभ उठा सकती हैं। महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों को इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए।

भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी

यह पॉलिसी 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत माता/पिता की मृत्यु के पश्चात् बालिका को 17 वर्ष की उम्र तक एक निर्धारित राशि देने की व्यवस्था है।

एक वंचित वर्ग के रूप में महिलाओं के लिए पंचायत निम्नलिखित सन्दर्भ में पहल कर सकती है –

- शिक्षा की व्यवस्था
- स्वास्थ्य की देख–रेख
- जीविकोपार्जन के समान–अवसर
- स्वयं सहायता समूह निर्माण एवं सशक्तिकरण
- रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जीविकोपार्जन के लिए वैसी महिलाएँ जिनके पति बाहर गये होने, उनके लिए प्राथमिकता के आधार पर काम
- निर्माण योजना के तहत काम करने के समान अवसर

4. मानवीय समूह के रूप में महिलाओं को सशक्त करने के लिए पंचायत

- समान प्रतिष्ठा
- समान व्यवहार
- समान अवसर तथा
- समान ध्यान

देकर उन्हें व्यवहार में बराबरी का दर्जा दिला सकती है। पंचायतों को अपनी सोच, व्यवहार एवं कर्म के स्तर पर महिला सशक्तिकरण के लिए ये सभी पहल करना परम आवश्यक है। जब हम पंचायतों तथा अन्य संस्थाओं को सशक्त एवं सफल बनाने में महिलाओं की भूमिका निर्धारित करने की बात करते हैं तो दोनों ही स्थितियों में हम देश की 48.26 प्रतिशत और राज्य की 47.93 प्रतिशत आबादी की बात कर रहे होते हैं। यह अभूतपूर्व स्थिति है कि पंचायत राज के तीनों स्तर की चारों संस्थाओं में जहाँ लगभग 65 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि हों वहाँ तो पंचायत को करनी ही होगी। इस स्थिति में तो वास्तव में महिला सशक्तिकरण से पंचायतों का सशक्तिकरण स्वमेव होता रहेगा। पंचायत में महिलाओं का ही बहुमत वाला समूह है। और महिलाएँ जब समूह में होती हैं तो वे बड़ी से बड़ी कठिनाईयों एवं चुनौतियों का सामना कर लेती हैं। इसके अलावा, चाहे स्त्री हों या यह पुरूष, सभी पंचायत सदस्य एक ही सूत्र से बंधे हैं। वह सूत्र हैं सामाजिक समानता, स्थानीय विकास एवं स्थानीय स्व–शासन। पुरुष वर्ग विशेषकर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के परिवार के पुरूष सदस्यों को महिलाओं की क्षमतावृद्धि में सहायक की भूमिका निभाने की जरूरत है। यह समय की मांग है। इसमें महिलाओं के पंचायती राज में भागीदारी एवं सशक्तिकरण की सार्थकता भी निहित है।

संदर्भ ग्रंथ :–

[1] भारतीय राजनीति और महिलाएं – स्वप्निल सारस्वत।

[2] भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, खण्ड–2, ताराचन्द्र

[3] नंदिता हक्सर, कानून में महिलाओं के लिए दोहरी मान्यताएँ

[4] मृणाल पांडे, स्त्री

[5] आशारानी व्होरा, महिलाएँ और स्वराज्य, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, 1988

[6] मोहन, ममता, सशक्तिकरण : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण, योजना, वर्ष–56, अंक–6, जून, योजना भवन, नयी दिल्ली, 2012